



## उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपकर्म)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग लखनऊ

संख्या 315 - काविनी० एवं वे०प्र०-२९ / पाकालि / 2013 - ७ काविनी एवं वे०प्र० / ०९ दिनांक 25 जून, 2013  
 ← समस्त मुख्य अभियंता (स्तर-। एवं II),  
 समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,  
 समस्त अधीक्षण अभियंता,  
 समस्त उप महाप्रबन्धक,  
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिठ०।

विषय:- उ०प्र० पावर कारपोरेशन एवं उसकी वितरण कम्पनियों के समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों / कर्मचारियों जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित किये जा चुके हैं, को दिनांक 01 जनवरी, 2013 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भले का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश संख्या 925-काविनी एवं वे०प्र०-२९/पाकालि/०८-७ काविनी एवं वे०प्र०/०९ दिनांक 01.12.2012 के अनुक्रम में मझे यह कहने का निर्देश है कि दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों में कारपोरेशन के समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2013 से निम्नानुसार बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ता अनुमन्य होगा : -

तिथि जब से देय है	महंगाई भले की मासिक दर
01 जनवरी, 2013	मूल वेतन का 80 प्रतिशत

2. उपरोक्त बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में निम्न प्रमुख बिन्दु निर्धारित किये गये हैं :-
- I. इस आदेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु मूल वेतन का तात्पर्य दिनांक 01.01.2006 से लागू होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड में 'वेतन' तथा अनुमन्य 'ग्रेड वेतन' के योग से प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अन्तर्गत वेतन की परिधि में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्प्रिलिपि नहीं किया जायेगा।
- II. महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम - 9 (21) के अन्तर्गत 'वेतन' नहीं माना जायेगा।
- III. इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कार्मिकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवाएँ चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्ति, मृत्यु या सेवा-मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हों, सेवा-समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।
- IV. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा पचास पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और पचास पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।
- V. दिनांक 01 जनवरी, 2013 से दिनांक 31 मई, 2013 तक देय महंगाई भत्ते की अवशेष धनराशि, अधिकारी/कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को सामान्य भविष्य

(क्रमशः.....)

निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 जून, 2013 से जमा माना जायेगा और इसी तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 31 मई, 2014 तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर, जिनमें सामान्य/अंशदायी भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (*Final Withdrawal*) देय हो जाये, उक्त तिथि से पूर्ण निकाला नहीं जा सकेगा।

पूर्व निकाला नहीं जा सकेगा।  
vi. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 जून, 2013 से (माह जून, दिनांक 01 जून, 2013 को देय) नकद किया जायेगा।

VII. इन आदरा द्वारा प्राप्ति १०.२  
2013 का भुगतान दिनांक 01 जुलाई, 2013 को देय) नकद किया जायगा।  
VIII. ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जिनका सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाता न खुला हो उनको देय  
अवशेष, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन०एस०टी०) के रूप में दिया जायेगा, परन्तु धनराशि के जिस अंश का  
वित्तीय सम्पत्ति का दो बड़े लाभ नकद दी जायेगी।

VIII. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं इस आदेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जनवरी, 2013 से इस आदेश के निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय महँगाई भत्ते की बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

3. उक्त आदेशों द्वारा स्वीकृत बढ़ी हुई मंहगाई भत्ते की ध प्राधिकार पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

भवदीय,

(जायेद अहमद) २५४१३  
संयक्त सचिव (कार्यविभागी)

सं०- 315 -(१) काविनी एवं वे०प्र०-२९/पाकलि/२०१२ तदिनांक।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायेवाही हेतु प्राप्त :-**

- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
  - प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
  - अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
  - प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
  - प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
  - मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
  - समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
  - अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
  - मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पा०का०ले, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
  - अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, बी-१७, ज० रोड, महानगर, उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
  - समस्त अधिकारी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
  - समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
  - लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
  - अनु सचिव (स०प्र०-लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
  - समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
  - अधिकारी अभियन्ता (वैब), कक्ष सं-४०७, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाईट, आङ्गासी,

[www.uppcl.org](http://www.uppcl.org) पर अपलाउ करन वाला।

आङ्गारे,

(जावेद अहमद) ५६८